

रा.पुनरीक्षण याचिका क्र
श्रवण दिनांक

R-292-PBR-17

श्रीमान न्यायाधीश
राजस्व मण्डल
13.12.17 को
53/1
Q

1. मोहिनउद्दीन पिता सैयद मुनीर निवासी ग्राम मोहद तहसील व
जिला बुरहानपुर म.प्र.

— याचिकाकर्ता/अनावेदक क्र 1
विरुद्ध

1. हफीजा बेगम पति इसामुद्दीन मास्टर पुत्री सैयद मुनीर निवासी
ग्राम अंतुर्ली तहसील मुक्ताईनगर जिला जलगाँव महाराष्ट्र

— उत्तरदाता

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

यह कि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त
शाहपुर जिला बुरहानपुर के रा.प्र.क्र 81-अ/06 सन 2015-16
(हफीजा बेगम वि मोहीनउद्दीन) मे पारित आदेश दिनांक 13.12.2016
से दुखी एवं पीडित होकर उक्त आदेश की वैधता एवं औचित्यता के
संबंध मे यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

f-22.217



R292-17/17

18.4.2017

अनुबंध

आवेदक की ओर से श्री शब्रम शर्मा अभिभाषक उपाध्यक्ष, ग्रामता पंचायत गंगा नगर तहसील के आदेश दिनांक 13.12.16 की सत्यता की जांच का अवलोकन किया गया। नगर तहसील के द्वारा किया गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया तथ्य संगत है कि आवेदक द्वारा केवल प्रस्तावित समस्त जुबानी वाक्शिश ले प्राप्त होना जतना रहा है, परन्तु इस समस्त में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही आवेदन पत्र में मौखिक वाक्शिश कहां, कब और किसके सामने हुई, उसका स्पष्टीकरण नहीं है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिणाम में तहसील के द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः रिगानी आधारहीन होने से अग्रार्थ की जाती है।

Noted
18/04/17

अध्यक्ष